भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 815
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सामान्य दवाओं की कीमतों में वृद्धि

815. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठ सामान्य दवाओं के मूल्यों में वृद्धि की है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह निर्णय किस प्रकार जनहित के सिद्धांत के अनुरूप है;
(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि इस मूल्य वृद्धि से आम जनता, विशेषकर आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए आवश्यक दवाओं की वहनीयता पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े; और
(घ) क्या सरकार की नागरिकों के लिए आवश्यक दवाओं की पहुंच और स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी समग्र खर्च पर इस मूल्य वृद्धि के प्रभाव की निगरानी करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): औषध विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को विभिन्न औषधि विनिर्माण/विपणन कंपनियों और उद्योग संघों से 77 फार्मूलेशनों के मूल्यों में वृद्धि का अनुरोध करने वाले आवेदन इस आधार पर प्राप्त हुए थे कि उत्पादन लागत में वृद्धि, सक्रिय औषधि सामग्री की लागत में वृद्धि, विनिमय दर में परिवर्तन आदि जैसे कारणों से वर्तमान दरों पर इन औषधियों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना व्यवहार्य नहीं था। इनमें से कुछ फार्मूलेशनों को बंद करने की अनुमति देने का अनुरोध भी इस आधार पर किया गया था कि तत्कालीन मौजूदा दरों पर वे व्यवहार्य नहीं थे। विस्तृत जांच के बाद एनपीपीए ने आठ औषधियों के 11 फार्मूलेशनों के मूल्यों में 50% की एकमुश्त मूल्य वृद्धि को मंजूरी दी, ताकि उनकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, ताकि आर्थिक रूप से वंचित लोगों सहित आम जनता को बाजार में इन औषधियों की अनुपलब्धता

के कारण महंगे विकल्पों की ओर रुख करने के लिए मजबूर न होना पड़े। इन औषधियों का उपयोग अस्थमा, ग्लूकोमा, थैलेसीमिया, तपेदिक, मानसिक स्वास्थ्य विकारों आदि के उपचार के लिए किया जाता है। इनमें से अधिकांश औषधियां कम लागत वाली हैं और आम तौर पर देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उपचार हेतु प्राथमिक रूप से उपयोग की जाती हैं।

अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों औषधियों के मूल्य की निगरानी एनपीपीए द्वारा की जाती है। एनपीपीए द्वारा अधिप्रभारण के मामलों में औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

*****